



म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

ब्लाक नं. 4, ग्राउंड फ्लोर, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर (म0प्र0) 482008

दूरभाष : (0761) 2702200, फेक्स : (0761) 2702140

ई-मेल : cetandc@gmail.com; वेब साईट : mptransco.nic.in

क्रमांक 04-04/उवेमा- / 4225

जबलपुर दिनांक 6-03-2019

आदेश

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के आदेश क्रमांक 01-05/1/WC/143, दिनांक 19.07.90, आदेश क्रमांक 01-13/3676/58 दिनांक 29.09.2003 एवं म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., के परिपत्र क्रमांक AS/MPPTCL/1735 दिनांक 25.08.2005 सहपठित आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/2929 दिनांक 10.10.2012 द्वारा ग्राह्य किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार श्री परमजीत सिंह धालीवाल, वरिष्ठ सर्वेयर सहायक (कर्मचारी संख्या-86424592) कार्यालय कार्यापलन-अभियंता (अउदा-नि.)संभाग उज्जैन में कार्यरत को 25 वषीय द्वितीय विकल्प, नियम के अंतर्गत वरिष्ठ सर्वेयर पर्यवेक्षक के पद का उच्च वेतनमान, वेतन संवर्ग ई-8, वेतन बैंड-2 में वेतनमान रु. 9300 - 34800/- सादृश्य ग्रेड वेतन रुपये 4400/- तथा पुनरीक्षित सातवे वेतनमान रु. 40600-127400/- प्रतिमाह का लाभ, प्राप्त जानकारी / दस्तावेजों के आधार पर, दिनांक 02.11.2018 से इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित नहीं थी एवं यह तिथि उनको प्रदत्त किसी भी विभागीय दण्डावधि की परिधि में नहीं आती है।

उच्च वेतनमान की स्वीकृति का लाभ आगामी पद पर पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है।

मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)


म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर

क्रमांक 04-04/उवेमा- / 4226

जबलपुर दिनांक 6-03-2019

प्रतिलिपि:


1. मुख्य अभियंता (मां.संसां. एवं प्रशां.)/(अउदा-निर्माण) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
2. अधी. अभियंता (अउदा-निर्माण) वृत्त म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., उज्जैन।
3. कार्यपालन अभियंता(वेबमास्टर) कार्यालय मुख्य अभियंता(ट्रांस.पूर्व. क्षेत्र.) ,म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर।
4. कार्यपालन अभियंता(अउदा-निर्माण) संभाग म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., उज्जैन ।
5. क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., इंदौर।



क्रमांक -2-

HPS ORDER 2019

6. निज सचिव कार्यालय प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
7. श्री परमजीत सिंह धालीवाल, वरिष्ठ सर्वेयर सहायक द्वारा - कार्यालय कार्यापलन-अभियंता (अउदा-नि.)संभाग म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., उज्जैन ।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. पदोन्नति का अवसर प्राप्त होने पर, पदोन्नति अस्वीकार करने/निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मंडल के परिपत्र क्रमांक 143-144 दिनांक 19-07-1990 के प्रावधानों के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ वापस ले लिया जावेगा।
3. श्री परमजीत सिंह धालीवाल द्वारा प्रस्तुत वचनपत्र के अनुसार वसूली की जाने वाली राशि की कटौती में अवरोध होने की स्थिति में उपरोक्त आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा ।
4. उक्त कर्मचारियों के नियंत्रक अधिकारी से अनुरोध है कि वे आदेश अग्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च वेतनमान की स्वीकृति की तिथि पर कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं थी एवं वे दण्डावधि में नहीं थे। अन्यथा स्थिति में आदेश आवश्यक टीप के साथ इस कार्यालय को अविलंब लौटाना सुनिश्चित करें।
5. उक्त कर्मचारियों के अन्यत्र स्थानान्तरित होने की स्थिति में इस आदेश को इस कार्यालय को वापिस न कर, कर्मचारी के वर्तमान कार्यालय में प्रेषित करने हेतु भेजा जावे।


अधीक्षण अभियंता

कार्यालय मुख्य अभियंता(परीक्षण एवं संचार)
म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर